मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

पुलिस भवन गोमतीनगर विस्तार, लखनऊ–226002

संख्याःडीजी परिपत्र संख्याः 17 /2023 दिनांकः लखनऊः जून 02, 2023

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष,
पुलिस विभाग, उत्तर प्रदेश।

विषयः– उत्तर प्रदेश के अराजपत्रित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के भर्ती के समय अंकित मूल निवास का पता परिवर्तित किये जाने पर वर्तमान पते को अंकित किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, मेरठ जोन, मेरठ द्वारा अपने पत्रॉकः एमजेड–तीन–1(गृह जनपद परि0)–2021 दिनांकः 11.05.2023 द्वारा पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के परिपत्र संख्याः63/2018 दिनांकितः 18.12.2018 के क्रम में पुलिस कर्मियों की चरित्र पंजिका में भर्ती के समय मूल निवास स्थान के प्रथम पृष्ठ पर अंकित कालम के अतिरिक्त परिवर्तित पता (जिसका मूल उद्देश्य सेवानिवृत्ति पर निवास स्थान) का कालम (जिसमें परिवर्तित पता अंकित करने का दिनांक एवं सम्बन्धित लिपिक तथा सत्यापित करने वाले अधिकारी का नाम/पदनाम अंकित हो) की व्यवस्था सुनिश्चित कराने जाने हेतु यथोचित दिशा–निर्देश निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– उपर्युक्त सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरान्त/परीक्षणोपरान्त निम्नलिखित निर्देश निर्गत किये जाते हैंः–

(1) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के भर्ती के समय घोषित गृह जनपद के परिवर्तन हेतु उ0प्र0 शासन से अनुमति प्राप्त होने के उपरान्त संशोधित गृह जनपद का पता चरित्र पंजिका के प्रथम पृष्ठ पर अंकित मूल निवास के पते के बांयी तरफ राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित करते हुए नाम/पदनाम एवं दिनांक सहित स्पष्ट हस्ताक्षर किया जायेगा, साथ ही सम्बन्धित चरित्र पंजिका लिपिक द्वारा भी अपना नाम/पदनाम अंकित करते हुए सुस्पष्ट हस्ताक्षर दिनांक सहित किया जायेगा एवं नाम/पदनाम की मुहर लगायी जायेगी।

(2) किसी भी अधिकारी/कर्मचारी के भर्ती के समय घोषित मूल गृह जनपद (Home District) का पता विलोपित नही किया जायेगा। अपितु भर्ती के समय घोषित मूल गृह जनपद का पता एवं संशोधित गृह जनपद का पता चरित्र पंजिका में साफ–साफ ॲकित रहेगा।

(3) किसी कार्मिक द्वारा अर्जित सम्पत्ति अथवा अन्य कारणों से नये स्थान के घोषित पता एल0टी0सी0 अथवा अन्य शासकीय कार्य में यात्रा करने के फलस्वरूप यात्रा–भत्ता के भुगतान में इसका लाभ मिलेगा। स्थाई पता (Home town) परिवर्तित होने का लाभ कार्मिक को उसके स्थानान्तरण आदि में नही मिल सकता है।

(4) शासनादेश दिनांकितः 02.12.1964 में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार केवल उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थियों को ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ दिये जाने की व्यवस्था है। अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को आरक्षण का लाभ देय नही है। यदि किसी पुलिस कर्मी द्वारा प्रदेश के अन्दर घोषित गृह जनपद (Home District) का पता सम्बन्धी अभिलेख प्रस्तुत करके आरक्षण का लाभ प्राप्त कर भर्ती हुआ है और भर्ती होने के बाद घोषित मूल गृह जनपद (Home District) का पता परिवर्तित कर अन्य प्रदेश का पता अंकित कराना चाहता है

तो उसे पता परिवर्तन का लाभ नही मिल सकता, क्योंकि वह भर्ती के समय उत्तर प्रदेश के घोषित मूल गृह जनपद के होने के आधार पर आरक्षण का लाभ प्राप्त कर भर्ती हुआ है।

3– अतः अनुरोध है कि उपरोक्त नियमों/निर्देशों से सभी अराजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों को अवगत कराते हुए कड़ाई से इसका अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें, जिससे भविष्य में कोई सन्देह की स्थिति उत्पन्न न होने पाये।

(विजय कुमार)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।